न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :132/2023

प्रार्थीनीः–

ममता देवी पुत्री हीरालाल पत्नी भरत कुमार जाति सुनार निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा हाल शेरगढ़ जोधपुर राज.

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 24.05.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 201,202 व 203 रकबा क्रमश1.0279,01.1655 व 02.0963 हैक्टयर भूमि ग्राम रामदेवनगर तहसील सिवाना में अवस्थित है प्रार्थीनी के पिता की फौत होने पर नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीनी की बहिन मंजूदेवी व प्रार्थीनी का नाम भी मंजूदेवी दर्ज कर दिया। प्रार्थीनी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,पैन–कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''ममता देवी पुत्री हीरालाल '' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियो के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीनी का नाम '' मंजूदेवी पुत्री हीरालाल' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्राथीर्नी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/690 दिनांक 20.03.2024 द्वारा प्रार्थीनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत किये है तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्राथीर्नी के पिता के फौत होने पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20.12.2017 द्वारा वारिसान के नाम के [illegible] किया गया जिसमें वारिसान भरतकुमार पुत्र हीरालाल,दुर्गादेवी ,मंजूदेवी [illegible] पुत्रीया [illegible] लाल व सवित्रीदेवी पत्नी हीरलाल कौम सुनार के नाम दर्ज हुआ नामान्तरकरण [illegible] 271 में प्रार्थीनी का नाम [illegible] देवी पुत्री हीरालाल दर्ज है ,सेग्रीगेशन के दौरान मंजूदेवी पुत्री हीरालाल का [illegible] से दो बार इन्द्राज हो गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''ममतादेवी पुत्री हीरालाल'' है, किन्तु सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 201,202 व 203 में त्रुटिवश प्रार्थीनी का नाम ''मंजूदेवी पुत्री हीरालाल'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के आधार कार्ड,पेन–कार्ड व परिचय पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थीनी का नाम ''ममतादेवी पुत्री हीरालाल '' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीनी का नाम ''मंजूदेवी पुत्री हीरालाल'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''ममतादेवी पुत्री हीरालाल'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामदेवनगर के खसरा संख्या 201,202 व 203 रकबा क्रमश 1.0279,01.1655 व 02.0963 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम ''मंजूदेवी पुत्री हीरालाल'' के स्थान पर ''ममतादेवी पुत्री हीरलाल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)